

विषय: - याचिका क्रमांक 366/पी. 19952/2015-16 जितेन्द्र
लाबू अहिरवार विरुद्ध महेश शासन एवं अन्य

मा. वित्त मंत्री जी
का विभाग

पंजी. क्रमांक - 573/2016/ई-चार

द्वारा - संचालनालय स्थानीय
निधि संपरीक्षा भोपाल
(प्रकोष्ठ)

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन हो।

~~संयुक्त~~ संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा
प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा याचिका क्रमांक W.P. 19952/15-
की हयापति संलग्न कर प्रकरण में अवाधकता
प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति
संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

२। - याचिकाकर्ता श्री जितेन्द्र लाबू अहिरवार द्वारा
स्थानीय निधि संपरीक्षा अंतर्गत निःसाक्षरों के
~~विरुद्ध~~ विरोध भरती अभियान के लक्ष्य मूल्य
सह - भरती (अल्प - लाघत) के पद पर नियुक्ति
प्रदान न किये जाने से व्यक्त होकर ओ०
न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका प्रस्तुत की
गई है। एवं याचिका में प्रतिवादियों के साथ
में क्रमांक - 1 पर " प्रमुख सचिव म. प्र. शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल "

उच्चोस-२ सचिवालय

विषय:- याचिका क्रमांक उल्लू.पी. 19952/2015 जी.निलेश भा. वित्त मंत्री जी काबू अतिरिक्त विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य

शर्त रखते:-

11/6/2016
4/3/16

क्रमांक - 2 पर "संयुक्त संचालक, संचालनालय र.धानी में निधि संपरीक्षा, प्रकोष्ठ भोपाल" क्रमांक - 3 पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया पिकेल्सालय भोपाल" को प्रतिवादी बनाया गया है। संचालनालय द्वारा प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के रूप में "संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय र.धानी निधि संपरीक्षा, जखलपुर" को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है अतः उक्तानुसार आदेश जारी किया जा सकता है।
हो. अवलोकनार्थ एवं अ. अनुमोदनार्थ

02.03.16

560
3/3
4/3

अ.अ.
अवर सचिव
DS(S)

2/3
3/3

सचिव
Asst. Secretary

उज्जैन
(सुषमा शर्मा)
उप सचिव वित्त

शपक

5/3/16

DS(SA)

Govt. of Madhya Pradesh
Finance Department

4/3

प्राप्त

(सफ - 1 एसी) / 6 / 2016 ई - वार)

3.

छज्जीस-२ सचिवालय

विषय:- याचिका क्रमांक 3000/पी. 19952/2015 ई. वि. मा. वित्त मंत्री जी
बाबू अतिरवार विरुद्ध महसुस प्रवेश शासन संबंधी विभाग

प्रतिपक्ष:-

प्रतिपक्ष पर अनुमोदन उपरान्त प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति
आदेश की अख्तियार प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

Jawanna
05.3.16

55/अ.
अतिरवार
50/0

513
5/3
511

मा. वित्त

बाबक क्रमांक... 6004/625
दिनांक... 5 + 5/16 ई/वार.

(रणक - 1(वी) / 6 / 2016 / ई / नगर)


छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय: याचिका क्रमांक डल्लू.जी. 19952/2015 जी जितेन
बाबू अहिरवार पिसड मध्य प्रदेश शासन स्वेच्छ

अर्थ लच्छ से:-


प्रकरण के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति
आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण के संदर्भ
में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नरली विधि
विभाग को अंकित करना चाहेंगे।


09.03.16

~~अ. अ.~~

~~अवर सचिव~~

विधि विभाग


9/3

माध्य

7537

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/3/2016

क्रमांक एफ-1(सी)/6/2016/इ/चार:- सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 (1909) का अधिनियम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.19952/2015 श्री जितेन्द्र बाबू अहिरवार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने। आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी.
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा.
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा.
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा.
- (5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा.
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट.
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप.
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है.
 - (घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.
- (7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना.
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना.
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा.

- (10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाए।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(श्रृंखला संगीने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 8/3/2016

पृष्ठांकन क्र. एफ-1(सी)/6/2016/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित/निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट (विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक-एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रं./संचा.स्था.नि.संप/प्र.भो./न्याय.प्रक./N-167/2016/490
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2016

सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पं. 490
27/2

सचिव, वित्त विभाग (स्थानीय)

वर्गी क्रमांक 57.3 दिनांक 29/2/16

विषय:- याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी. 19952/2015 श्री जितेन्द्र बाबू अहिरवार विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

संदर्भ:- उपपंजीयक म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका नोटिस दिनांक 14.01.2016

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से उपपंजीयक म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका नोटिस दिनांक 14.01.2016 का अवलोकन करना चाहेंगे (छायाप्रति संलग्न)। प्रकरण में लेख है कि श्री जितेन्द्र बाबू अहिरवार द्वारा संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत निःशक्तजनों के विशेष भरती अभियान के तहत भृत्य सह-फर्राश (अस्थि बाधित) के पद पर नियुक्त नहीं किये जाने से याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी. 19952/2015 से वाद दायर किया गया है। जिसमें प्रमुख सचिव म.प्र.शासन वित्त विभाग, संयुक्त संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवादी बनाया गया है।

अतः शासन की ओर से जवाबदाय प्रस्तुत किये जाने हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर को प्रभारी अधिकारी बनाया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रभारी अधिकारी के आदेश शीघ्र जारी करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार!

(आर.एस.कुमार)
अपर संचालक

पृ.क्रं./संचा.स्था.नि.संप/प्र.भो./न्याय.प्रक./N-167/2016/

भोपाल, दिनांक फरवरी 2016

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि, शासन आदेश की प्रत्याशा में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करे एवं कृत्य कार्यवाही से म.प्र.शासन वित्त विभाग तथा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर/प्रकोष्ठ भोपाल को अवगत करावे। संलग्न:- उपरोक्तानुसार।
3. श्री स्वप्निल गांगुली, शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर पत्र दिनांक 22.02.2016 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता
अपर संचालक
प्रकोष्ठ-भोपाल

o/c

1

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRICIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)
WRIT PETITION NO. 1995 2015

PETITIONER : Jitendra Babu Ahirwar

VERSUS

RESPONDENTS : State of Madhya Pradesh and
others

INDEX

Sl.No.	Description of Documents	Annexure Marked	Page No.
1.	Index		
2.	Chronology of Events		
3.	Writ Petition with Affidavit		
4.	List of Documents		
5.	Copy of list	P-1	
6.	Copy of Call Letter dt. 08.09.2014	P-2	
7.	Copy of letter dt. 26.09.2014	P-3	
8.	Copy of disability certificate dt. 09.08.2012	P-4	
9.	Copy of Letter dt. 09.06.20 5	P-5	
10.	Copy of representation.	P-6	
11.	Vakalainama		

Jabalpur
Dated: 20.11.2015

SUNIL MISHRA
Counsel for Petitioner

3.
2

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION NO. 19952 2015

PETITIONER : Jitendra Babu Ahirwar

VERSUS

RESPONDENTS : State of Madhya Pradesh and
others

CHRONOLOGICAL EVENTS

S.No.	Date	Description of Events
1.		The petitioner is not challenging any particular order but he is challenging inaction on the parts of the Respondents because Petitioner has been selected for the post of peon through special recruitment conducted by the respondent no.2 and thereafter the medical examination of the Petitioner has been conducted on 24.09.2014 in which the disability of the Petitioner has been found below 40% because of which his candidature for the said post has been rejected by the Respondents although the Petitioner has submitted his medical certificate issued by Medical Board, Distt. Tikamgarh (M.P.) in which the disability of the Petitioner has been shown 45% Petitioner has given several representation for his re-medical examination but the Respondents did not taken any heed..

Jabalpur
Dated: 20.11.2015

SUNIL MISHRA
Counsel for Petitioner

3

4.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION NO. 19952 2015

PETITIONER

: Jitendra Babu Ahirwar
S/o Shri Jhundu Lal Ahirwar
Aged about 30 years,
Resident of Infront of Temple of
Thana, Niwadi,
Distt. Tikamgarh (M.P.)

Versus

RESPONDENTS

- : 1. State of Madhya Pradesh
through its Principal Secretary,
M.P. Bhopal.
2. Joint Director, Sanchalnalaya
Sthaniya Nidhi Sampariksha,
Prakoshtha-Bhopal, Satpuda
Bhawan, 1st Floor, Bhopal
(M.P.)
3. Joint Director and
Superintendent, Hamidiya
Hospital, Bhopal (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA FOR ISSUANCE OF
WRIT/WRITS. ORDER/ORDERS. DIRECTION/DIRECTIONS

1. **Particulars of the cause/order against which the**
petition is made:-

1. Date of order/Notification/Circular/Policy/Decision etc.
Nil
2. Passed in (Case or File Number) : Nil
3. Passed by (Name and designation of the Court,
Authority, Tribunal etc.) Nil